Revised Notification regarding Renovation of Power Plants

3608. SHRIMATI JAYAPRADA NAHTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the salient features of the revised notification regarding renovation and modernisation schemes of power plants issued recently;

(b) whether it would help in meeting the shortage faced in the northern grid; and

(c) the steps taken to meet the shortfall of power in the Northern region?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) The Government through a notification issued on January 7, 1997, have decided that all the renovation and modernisation schemes for power stations, with an estimated cost below Rs. 500 crores, need not be referred to Central Electricity Authority for their clearance.

(b) Renovation and modernisation of power plants cheaper and quicker way to add capacity for the country as a whole, including the Northern grid.

(c) Besides encouraging renovation and modernisation of existing power plants to meet shortfall of power in the country, the various steps being taken to augment power supply in the country, inter-alia, include commissioning of short gestation power projects, better demand-side management, reduction in transmission and distribution losses, energy conservation measures, transfer of power from surplus regions to deficit regions, etc.

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की विन्ध्याचल पावर परियोजना के प्रथम चरण में एश डाइक का निर्माण

3609. **श्री जनन्नाथ सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एन० टी० पी० सी० की विन्ध्याचल पावर परियोजना के प्रथम चरण में 1260 मेगावाट के पावर संयंत्र के एश डाइक का निर्माण एक रूसी कंपनी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से लगभग आठ वर्ष पूर्व कराया गया था, यदि हां, तो उस कंपनी का नाम क्या है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्राम शाहपुर एवं अतरैला, तहसील सिंगरौली (वैढ़न) जिला सीधी (मध्य प्रदेश) के प्रभावित व्यक्तियों व परिवारों के लोगों को स्थायी नौकरी का आश्वासन देने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं दी गयी तथ विगत बारह वर्षों से प्रदूषित एश-डाइक का पानी पीकर जीवन-यापन करने के लिए मजूबर है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) जी, नहीं। 1260 मे०वा० विन्ध्याचल विद्युत केन्द्र के चरण-1 के राख-कुंड का निर्माण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से किया जा रहा है।

(ख) एनटीपीसी ने सूचित किया है कि शाहपुर और अतरेला के कुछ परिवार, जिनकी भूमि को राख कुंड चरण-1 के लिए अधिगृहीत किया गया था। एनटीपीसी में स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं तथा उनकी और बकाया मुआवजे के पूरे भुगतान जिसमें पुनर्वास कालोनी में आवासीय भू-खंडों का आबंटन तथा पुनर्वास हेतु व्यवहार्य आय-उत्पादन स्कीमों का प्रावधान भी शामिल है, के बावजूद भूमि खाली करने का विरोध कर रहे हैं।

एनटीपीसी द्वारा प्रयोग की जाने वाली आधुनिक तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को मद्देनजर रखते हुए सभी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को एनटीपीसी में रोजगार प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है, तथापि, एनटीपीसी ने विन्ध्याचल परियोजना में 243 भू-विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है जिसमें शाहपुर से 28 तथा अतरेला से 11 भू-विस्थापित व्यक्ति शामिल हैं।

राख कुंड से निकलने वाले पानी की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच की जाती है तथा इसे जलकुंड में छोड़ने से पहले पर्यावरण नियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार पाया गया है।

SEBs' proposals for Gas Turbine Power Projects on Build, own and Operate Basis

3610. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state: